

1  
राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 227 / 2022

GCMS No.2022/647

1. प्रताप सिंह पुत्र गुरुदयाल
2. श्रीराम पुत्र गुरुदयाल
3. भतेरी पत्नी रोहिताश सिंह
4. सुमित्रा पुत्री रोहिताश सिंह
5. सुशीला पुत्री रोहिताश सिंह


1 लगायत 5 समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं  
राज0

.....वादीगण

ब-ना-म

1. उम्मेद सिंह पुत्र जयनारायण
2. जय सिंह पुत्र श्रीराम
3. महेन्द्र पुत्र श्रीराम
4. सरजीत पुत्र श्रीराम
5. उम्मेद पुत्र बीरबल
6. कमला देवी पत्नी रामचन्द्र
7. करण सिंह पुत्र माली
8. चान्दकोर पत्नी रतिराम
9. जगदीप पुत्र बीरबल
10. विमला पत्नी प्रताप सिंह
11. भागीरथ पुत्र माली
12. मुकेश पुत्र बीरबल
13. सजना पत्नी बीरबल
14. अमीलाल पुत्र गीदा
15. जुगलाल पुत्र मुला
16. पृथ्वी सिंह पुत्र भूराराम
17. महेश पुत्र रामपत
18. रोताश पुत्र श्योदान
19. सुभाषचन्द्र पुत्र मुला
20. कुरडा पुत्र जालिम
21. माडू पुत्र जालिम



  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

22. मातादीन पुत्र भूराराम
23. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भूराराम
24. मूला पुत्र गोविन्दा
25. विमला देवी पत्नी रामजीलाल  
1 लगायत 25 समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
26. सावित्री पुत्री जयनारायण पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नानवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
27. हरप्यारी पुत्री जयनारायण पत्नी भागमल जाति जाट निवासी ग्राम नानवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
28. शकुन्तला पुत्री श्रीराम पत्नी शेर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सरेली, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
29. सुमित्रा पुत्री श्रीराम पत्नी बलबीर जाति जाट निवासी ग्राम तोताड़ी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
30. बाई पुत्री श्योदान पत्नी हरि सिंह जाति जाट निवासी ग्राम रामबास मांडी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
31. शान्ति पुत्री श्योदान पत्नी होशियार सिंह जाति जाट निवासी ग्राम रामबास मांडी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
32. कविता पुत्री रामजीलाल पत्नी कविन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बापड़ोली तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
33. मन्जू पुत्री रामजीलाल पत्नी रविन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बापड़ोली तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
34. राजबाला पुत्री रामजीलाल पत्नी महेश चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम छितरौली तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
35. पूनम पुत्री रामजीलाल पत्नी प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी ग्राम जाट बहरोड़, तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
36. सरिता पुत्री रामजीलाल पत्नी नवीन कुमार जाति जाट निवासी ग्राम जाट बहरोड़, तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
37. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
38. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।


.....प्रतिवादीगण

### दावा- खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :-

1. श्री हेमराज सिंह :- वादीगण की ओर से
2. श्री रोशनलाल सैनी :- प्रतिवादी सं. 16 की ओर से

  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलस्टर  
खेतड़ी जिला

-:निर्णय :-

दिनांक 19/7/25

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27-06-2023 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम नालपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 220 में दर्ज कुल खसरा किता 12 कुल रकबा 4.48 है., हाल खाता सं. 250 में दर्ज कुल खसरा किता 1 कुल रकबा 0.25 है., हाल खाता संख्या 257 में दर्ज कुल खसरा किता 1 कुल रकबा 0.45 है., हाल खाता संख्या 363 में दर्ज कुल खसरा किता 1 कुल रकबा 0.28 है., हाल खाता सं. 388 में दर्ज कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 2.00 है. तथा हाल खाता संख्या 389 में दर्ज कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.13 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 16 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जा काश्त अनुसार अलग-अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प-15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2023/4505 दिनांक 02.11.2023 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।.

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02-11-2023 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02-11-2023 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-12" एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस-"ब") का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मय प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 16 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02-11-2023 (प्रदर्श-"अ-1

उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलस्टर  
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं


लगा. अ-12" एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस-"ब") के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

### आदेश

अतः वाद वादीगण मय प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 16 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02-11-2023 (प्रदर्श-"अ-1 से अ-12" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस-"ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 16 के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02-11-2023 (प्रदर्श-"अ-1 से अ-12" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस-"ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श नक्शा ट्रेस-"ब" के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ~~10.07.2025~~ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
( मुकेश चौधरी )  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
खेतड़ी, जिला झुझुनूं